राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 10/2021

निर्णय दिनांक :– 28/7/2022

प्रार्थीगण :–

1. नगीना पुत्री चान्दखां जाति–मुसलमान
2. मृत बिस्मिला पुत्री चान्दखां के कायम मुकाम
   2/1– सिकन्दर खां पुत्र इदू खांजी
   2/2– युसुफ खां पुत्र सिकन्दर खांजी
   2/3– युनुस खां पुत्र सिकन्दर खांजी
   2/4– साबिर खां पुत्र सिकन्दर खांजी
   2/5– साकिर खां पुत्र सिकन्दर खांजी
   2/6– यास्मिन पुत्री सिकन्दर खांजी
3. रोशन पुत्री चान्दखां

   जातिगण–मुसलमान, निवासीगण–घाणेराव, तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान

विरूद्ध

अप्रार्थीगण :–

1. जुबेदा पुत्री कासमखां
2. बरकतखां पुत्र कासमखां
3. शाबीरखां पुत्र कासमखां
4. सदीक मोहम्मद पुत्री कासमखां
5. हनीफा पुत्री कासमखां

   उम्र– वयस्क, जातिगण–पठान, निवासी– घाणेराव, तहसील–देसूरी, जिलाा–पाली
6. जरिये भूमिधारी, राजस्थान सरकार(तहसीलदार देसूरी)

(प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थितिः–

1. श्री शंकरलाल मीणा प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार माली अप्रार्थीगण 01 से 05 की ओर से।
3. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

निर्णय

दिनांक :– 28/7/2022

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण अपने ने आवेदन के साथ ग्राम–घाणेराव के खाता संख्या 576 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण की जमांबदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 1006 व 1007 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम घाणेराव खसरा नम्बर 2247 रकबा 0.41 हेक्टर किस्म न.अ., ख.न. 2248 रकबा 0.29 हेक्टर किस्म न.अ, ख.नं. 2306 रकबा 0.29 हेक्टर किस्म न.अ., ख.नं. 2307 रकबा 0.24 हेक्टर किस्म न.अ., ख.नं. 2308 रकबा 0.20 हेक्टर किस्म न.अ., ख.न. 2331 रकबा 0.23 हेक्टर किस्म न.अ. भूमि में आने जाने के लिए(रास्ते की भूमि) रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस में स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2249 रकबा 0.32 हेक्टर में से होते हुए खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.96 हेक्टर के उत्तर–पूर्ण भाग के माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार माली ने वकालत नामा पेश जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्यां 06 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020/258 दिनांक 16.06.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 11.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ जिसे शामिल पत्रावली किया गया

4– वकील अप्रार्थीगण 1 लगाय 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. आदेश 11 नियम 12, 14 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पद संख्या 4 में वर्णित नजरी नक्शा की प्रतिलिपि अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. आदेश 11 नियम 12,14 सी.पी.सी स्वीकार किया गया एवं वकील प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा की प्रतिलिपि वकील अप्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। न्यायहित में वकील अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

5– अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 5 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय फहरिस्त दस्तावेज पेश किये

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 10/2021 अनवान नगीना वगैरा बनाम जुबेदा वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी....

जिसे शामिल मिसल किया गया है। प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा 2249 रकबा 0.32 हेक्टर मे से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 2249 के अप्रार्थीगण खातेदार नहीं है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने जानबुझकर एवं मात्र तंग परेशान करने की नियत से गलत पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण कब्रीस्तान के पास से ही आवागमन कर रहे है। नया रास्ता प्रार्थीगण ने गलत मांग की है। प्रार्थीगण ने पूर्व में रास्ता प्राप्त करने के लिए धारा 251क आर.टी.एक्ट में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया था जो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2017 को अस्वीकार किया गया था। जिसे प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष समान अनुवान के पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र संख्या 34/2016 को अस्वीकार करने के आदेश दिनांक 18.05.2017 को छुपाते हुए पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र विधि वर्जित होकर खारिज योग्य है।

6– प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से वाद हेतुक प्राप्त नहीं होता है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 2249 के खातेदार नहीं होकर साबिर खातेदार है। घाणेराव के खसरा संख्या 2247, 2248 की आराजी को अपने आप की बताते हुए तथाकथित समशेरखां पुत्र चांदखां ने अपील संख्या 18/2006 न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में अप्रार्थीगण के पिता कासम खां पुत्र रसुल खांजी के विरूद्ध पेश की थी इस प्रकार प्रार्थीया नगीना वगैरा का खसरा सख्या 2247, 2248 की आराजी में खातेदारी हक अधिकार होना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है प्रमाण स्वरूप अपील की प्रति पेश है। समशेरखां के स्वर्गवास के बाद समशेरखां के पुत्रों इलियास वगैरा ने माननीय संभागीय आयुक्त जोधुपर के न्यायालय में प्रस्तुत पत्रावली आज भी विचाराधीन है जिससे प्रार्थीया द्वारा वर्णित खसरा नम्बर 2247, 2248 की आराजी के संबंध में न्यायालय संभागीय आयुक्त में विचाराधीन अपील तक उपरोक्त प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से परिपोषणीय नहीं है। समेशर खा द्वारा पेश अपील से प्रार्थीगण को खसरा संख्या 2247, 2248 की आराजी में किसी प्रकार से खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जिससे प्रार्थीगण को नया रास्ता दिया जाना किसी प्रकार से विधि सम्मत नही नहीं है ना ही प्रार्थीगण अपने आप को खातेदार बताकर प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में समान वाद समान आराजी व पक्षकारों के संबंध में धारा 251 क के तहत पेश किया था, जो खारिज होने से नया प्रार्थना पत्र 12 सी.पी.सी. के प्रावधानो से विधि वर्जित होने एवं प्रार्थीगण द्वारा आर.टी.एक्ट नियम 68 के [illegible] प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होकर खारिज [illegible] 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

7– अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के प्रार्थना प्रत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2249 रकबा 0.32 हेक्टर में से नया रास्ता चाहा गया है जो सही है अप्रार्थीगण द्वारा दौराने प्रार्थना–पत्र पारिवारिक बंटवाडा कर विभाजन करवाकर नामान्तरकरण संख्या 3583 दिनांक 24.05.2022 को करवाकर नाम हटाया गया है। अप्रार्थी साबिर खां पुत्र कासमखां के नाम खातेदारी रखी है जो वर्तमान जमाबंदी से स्पष्ट है। प्रार्थीगण के आने–जाने का रास्ता कब्रिस्तान के पास होकर कभी नहीं रहा है एवं आवागमन का कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग नहीं कर पा रहे है। रास्ते के लिए मांगी किसी भी समय व स्थिति एवं कितनी भी बार की जा सकती है । पूर्व में दिनांक 18.05.2017 को कोई आदेश हुआ है तो अप्रार्थीगण स्वयं साबित करें।

8– प्रार्थीगण के मौके पर रास्ता नहीं होने से व्यक्तिगत रूप से बार–बार रास्ता देने का निवेदन करने के बावजूद रास्ता नहीं दिया गया जिससे वाद हेतुक उत्पन्न हुआ व प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। दौराने वाद प्रार्थीगण को नुकसान पंहुचाने के लिए खसरा नम्बर 2249 का विभाजन कर साबिर खां को खातेदार बनाया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संभागीय आयुक्त जोधपुर में विचाराधीन अपील अलगत तथ्यों को लेकर पेश है, जिस अपील से इस प्रार्थना पत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, मात्र प्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने लिए उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया है। खसरा नम्बर 2247 व 2248 के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है जो राजस्व जमाबंदी से स्पष्ट साबित है। रिकॉर्डेड खातेदारी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु किसी भी समय प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है इस हेतु प्रार्थीगण ने आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि वर्जित नहीं है एवं धारा 12 सीपीसी उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु नहीं होती है और ना ही आर.टी.एक्ट 68 के तहत बाड है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को मात्र तंग एवं परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय को भटकाने व प्रार्थना पत्र को लम्बा करने के उद्देश्य से विधिविरूद्ध यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

9– अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधि[illegible] वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण [illegible] खा[illegible]की भूमि आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है जिसमें से रास्ता चाहा है [illegible] भूमि है जो जमाबंदी से स्पष्ट है। प्रार्थीगण की भूमि मे आवा[illegible] हेतु रास्ता [illegible] है। प्रार्थना पत्र 251ए के तहत पेश करने के बाद पारिवारिक बंटवाडा करवाकर अप्रार्थीगण[illegible] नाम हटवाया एवं केवल शाबिर

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

का नाम रहा है। जिस प्रार्थना पत्र का हवाला अप्रार्थीगण द्वारा दिया गया वह प्रार्थीगण की जानकारी में नहीं है और यदि पूर्व में पेश किया गया तो उसकी भी निस्तारण नहीं हुआ अतः दुसरा प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। शमशेर व प्रार्थी के बीच खातेदारी अधिकारों को लेकर वाद जो विचाराधीन है जो जिसके पक्ष में निर्णित होगा उसी अनुसार रास्ते का उपयोग/उपभोग किया जाएगा जिससे वाद का इस प्रार्थना पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पडता। धारा 12 सी.पी.सी के तहत खारजि होने संबंधी कोई तथ्य इस प्रार्थना पत्र पर लागु नहीं होते।

10– अप्रार्थीगण 01 लगाय 05 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2249 में से रास्ता चाहा है तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में 34/2016 प्रार्थना पत्र 251ए के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो विचाराधीन होते हुए नया पेश किया जिसके कोई फेक्ट इस प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया एवं पूर्व में विचाराधीन समान पक्षकार, समान रास्ता, समान भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र का कोई हवाला नहीं दिया जो धारा 12 सीपीसी के तहत विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 2247, 2248 को प्रार्थीया द्वारा जिस आराजी को स्वयं की बताई है उसे समशेरखां द्वारा अपनी बताते हुए पत्रावली संभागीय आयुक्त कोर्ट में विचाराधीन है। विवादित प्रकरण में कई विधिक कार्यवाहियां लंबित है।

11– माननीय संभागीय आयुक्त एवं पूर्व प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को प्रार्थीगणों द्वारा admit किया है। धारा 12 के प्रावधान मूल वाद में लागू वे सभी प्रार्थना पत्र में भी लागू होगें। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणों ने कहीं भी उक्त पूर्व में विचाराधीन प्रकरणों का हवाला नहीं दिया है जिससे प्रार्थीगणों का प्रार्थना विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमावें।

12– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड मय संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबध में पूर्व में प्रकरण 251ए के तहत मुकदमा संख्या 34/16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के पूर्व प्रकरणों का कोई हवाला नहीं दिया गया तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः न्यायालय की राय में अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत स्वीक[illegible] जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा [illegible] के तहत प्रस्तुत खारिज किया जाना उचित है अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (6) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 10/2021 अनवान नगीना वगैरा बनाम जुबेदा वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी....

आदेश

अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 28/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested